न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 126 BNSS

वाद सं0 07/2025–26

प्रथम पक्ष – पार्वती देवी ...... बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – गिरधारी सिंह .... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 12/2025 दिनांक 13/05/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) पार्वती देवी उम्र 50 वर्ष पति ललित सिंह (2) ललित सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 पुसा सिंह (3) श्याम सिंह उम्र 30 वर्ष पिता ललित सिंह तीनों ग्राम रायबा बड़काटोली, थाना कामडारा जिला गुमला । **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) गिरधारी सिंह उम्र 25 वर्ष पिता ललित सिंह (2) कलेश्वरी देवी उम्र 22 वर्ष पति गिरधारी सिंह दोनो ग्राम रायबा बड़का टोली, थाना कामडारा जिला गुमला के बीच घरेलु विवाद को लेकर वाद लाया गया है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने एवं विधि–व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न करने की हो सकती है। थाना प्रभारी कामडारा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष अपसी सुलह कर वाद को आगे नहीं लड़ने से संबंधी सुलहनामा दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई कि समय अवधि समाप्त होने एवं वाद कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एंव संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2025.12.06 12:05:09 +05:30 Location: 192.168.1.36	